उत्तराखंड में नेचर गाइडिंग हेतु आदर्श आचार संहिता व दिशनिर्देश

उत्तराखंड में प्रकृति पर आधारित पर्यटन के विकास के साथ-साथ नेचर गाइडिंग गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस स्थिति में यह अतिआवश्यक है कि ऐसी गतिविधियाँ प्रकृति, वन्यजीवों, स्थानीय समुदायों, पर्यटकों व नेचर गाइडों तथा उनकी आजीविका को कोई हानि न पहुँचायें। इस विषय पर वर्ष 2020 के प्रारम्भ में उत्तराखंड के नेचर गाइडों ने चर्चायें कीं और नेचर गाइडिंग हेतु आदर्श आचार संहिता व दिशानिर्देश चिन्हित करने की पहल की। सभी प्रतिभागियों ने यह आशा की कि इन दिशानिर्देशों का पालन उत्तराखंड में नेचर गाइडिंग की सभी गतिविधियों में प्रकृति पर्यटन से जुड़े विभिन्न वर्गों (यानि गाइडों, टूर ऑपरेटरों, व संस्थाओं) द्वारा किया जाये।

प्रकृति संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता: प्रकृति की सुरक्षा सर्वोपरि है। वनस्पतियों व जीवों, विशेषकर स्थानीय मूल की प्रजातियों का संरक्षण और वास स्थानों की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें।

सुरक्षा: अपनी तथा अपने अतिथियों की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखें।

फ़ोटोग्राफ़ी: अत्यंत नज़दीक से फ़ोटोग्राफ़ी, या सक्रिय घोंसलों की फ़ोटोग्राफ़ी इत्यादि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे जीवों को हानि पहुंचे, उन्हें कष्ट या तनाव हो, अथवा उनकी प्राकृतिक दिनचर्या बाधित हो। रात को जीवों को देखने या उनकी फ़ोटो खींचने के लिए फ़्लैश, टॉर्च, स्पॉट लाइट अथवा सर्च लाइट का प्रयोग कतई न करें।

प्राणियों के प्राकृतिक व्यव्हार में बाधा: जीवों को देखने या उनकी फ़ोटो खींचने के लिए प्लेबैक (जीवों की आवाज़ की रिकॉर्डिंग बजाना), बेटिंग (भोजन का लालच देकर जीवों को आकर्षित करना), या फ्लशिंग (पत्थर मारकर अथवा आवाज़ से डराकर छिपे हुए जीवों को बाहर निकालना) कतई न करें। वन्यजीवों को भोजन कभी न दें। ऐसा करने से जीवों को परेशानी होती है और उनके प्राकृतिक स्वभाव में हानिकारक बदलाव आते हैं। ऐसा करना कानूनन अपराध है और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को वन्य प्राणी अधिनियम (1972) के अनुसार सज़ा देने का प्रावधान है।

तेज़ ध्वनि व शोर: वनों और अन्य प्राकृतिक स्थलों में भ्रमण करते समय शांति बनाए रखें, तेज़ आवाज़ न करें, व संगीत न बजाएं।

शिकार करना: संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों और मछलियों का शिकार करना एक गंभीर अपराध है। अन्य क्षेत्रों में भी शिकार पर सामान्यतः (सिवाय कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों के अधिकारों को छोड़कर) कानूनी प्रतिबंध है । नेचर गाइडों का यह दायित्व है की ऐसी गतिविधियाँ न स्वयं करें, न अतिथितियों को करने दें, और उल्लंघन की सूचना सम्बंधित विभागों को दें।

संरक्षित क्षेत्रों से संग्रह: संरक्षित क्षेत्रों से जीवों, उनके अंगों/अवशेषों, और वनस्पतियों का संग्रह करने पर कानूनन प्रतिबंध है। प्रतिबंधित वस्तुओं में फूल, फल, बीज, हिरण के सींग, सेही के कांटे व पक्षियों के पंख

इत्यादि वस्तुएँ शामिल हैं। इसकी अनुमति सरकार द्वारा विशेष कारणों (मसलन शोध आदि) के लिए ही प्रदान की जाती है। इसी प्रकार स्थानीय निकायों द्वारा भी कुछ वस्तुओं के संग्रह पर प्रतिबन्ध हो सकता है जिसका आदर करें।

नशीले पदार्थों का सेवन: प्राकृतिक क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान बीड़ी सिगरेट, शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थों का सेवन बिलकुल न करें।

कचरा व प्रदूषण फैलाना: कचरा न फैलाएं। भ्रमण के दौरान प्रयोग की गई सामग्री से बची बोतलें, डिब्बे, प्लास्टिक इत्यादि वस्तुएं प्राकृतिक क्षेत्रों में न फैंकें। इन्हें अपने साथ वापस लाएं और इनका सही जगह पर निस्तारण करें। नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों में पानी को प्रदूषित करने वाले पदार्थ, जैसे कि साबुन इत्यादि, कभी न डालें। शौचालय जल स्रोतों से कम से कम 200 मी. दूरी पर स्थित होने चाहिए। मनुष्य मल को 15 से.मी. मिटटी से ढकना उचित है। पीने के लिए बोतलबंद पानी के प्रयोग की बजाय अपनी बोतल साथ रखें। जल को स्वच्छ करने के लिए कई सुविधाजनक उपाय उपलब्ध हैं (जैसे कि फ़िल्टर व गोलियाँ), इनका प्रयोग करें।

आग जलना: प्राकृतिक क्षेत्रों में आग बिलकुल न जलाएं। ऐसा करने से वनों में भीषण आग फैलने का खतरा होता है।

स्थानीय नियमों का पालन: वन विभाग और स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित नियमों (जैसे कि भ्रमण का समय, भ्रमण हेतु निर्धारित रास्ते इत्यादि) का पालन करें।

निजी अथवा सामुदायिक संपत्ति में प्रवेश: यदि पर्यटन या गाइडिंग गतिविधियाँ निजी अथवा सामुदायिक संपत्ति में आयोजित की जानी हों तो सम्बंधित व्यक्ति या समुदाय के प्रतिनिधि से इसकी पूर्व अनुमति अवश्य लें।

धार्मिक व पवित्र स्थल: धार्मिक स्थलों की गरिमा सदा बनाए रखें व स्थानीय संस्कृति का हमेशा आदर करें। ऐसे स्थलों में स्थानीय समुदायों द्वारा पवित्र माने गए वन क्षेत्र भी शामिल हैं।

सभ्य व्यवहार: स्थानीय रीति रिवाजों के प्रति निष्ठा रखें। लोगों की फ़ोटो खींचने या उनकी संपत्ति में प्रवेश करने से पहले उनकी अनुमति अवश्य लें। यदि आप अपने अतिथितियों की या उनके साथ अपनी फ़ोटो लेने के इच्छुक हों तो पहले उनसे अनुमति लें।

स्थानीय आजीविका: स्थानीय समुदायों की आजीविका को समर्थन दें और स्थानीय उद्योगों (विशेषकर ऐसे उद्यम जो प्रकृति संरक्षण में योगदान देते हों) को बढ़ावा दें।
जहाँ संभव हो वहाँ स्थानीय गाइडों की सेवाएं लें, विशेषकर तब जब भ्रमण आदि गतिविधियाँ सामुदायिक या निजी संपत्ति पर की जा रही हों।

क्षेत्र के बारे में ज्ञान: स्थानीय पारिस्थितिकी, सामाजिक प्रथाओं और रिवाजों के बारे में ज्ञान अर्जित करें। क्षेत्र की प्राकृतिक व संस्कृतिक संपदा की जानकारी स्थानीय समुदायों से बांटें। भ्रमण करते समय स्थानीय लोगों के अनुभव की कद्र करें।

देखे गए जीवों का विवरण: भ्रमण के दौरान देखे गए जीवों की जानकारी नियमित रूप से दर्ज करने और साझा करने की आदत डालें। ध्यान रहे कि दुर्लभ अथवा विलुप्तप्राय प्राणियों की जानकारी संवेदनशील होती है और इसका दुरूपयोग हो सकता है। ऐसी जानकारी केवल विश्वसनीय लोगों (जैसे वन विभाग या किसी ज़िम्मेदार संरक्षण संस्था) से ही साझा करें। आपके द्वारा एकत्रित की गयी यह जानकारी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

जीवों के विवरण में ईमानदारी: देखे गए जीवों का विवरण ईमानदारी से करें। यदि आपको कोई दुर्लभ या असामान्य जीव देखें तो इसे प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त जानकारी (जैसे कि फ़ोटो) साझा करें। फ़र्ज़ी अथवा बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किये गए विवरण (विशेषकर ईबर्ड आदि सार्वजानिक मंचों पर) कदापि न दें।

सहकर्मियों से सहयोग: अन्य गाइडों के साथ मिलजुल कर काम करें। अनैतिक प्रतिस्पर्धा से बचें।

इस बात का सदा ध्यान रखें कि प्रकृति का संरक्षण और स्थानीय समुदायों की आजीविका सर्वोपरि हो, और गाइडों व अतिथियों की सुरक्षा का सदा ध्यान रखा जाये। आचार संहिता के प्रति गाइडों की प्रतिबद्धता की सूचना सभी पर्यटकों व टूर ऑपरेटरों को दी जाए।